न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

उपस्थित-संजय कुमार-V.....(न्यायिक सेवा उ०प्र०)

श्रीपाल बनाम अज्ञात

F.R.No- 266/2019
अ०सं०-718/2016
धारा-279,338 भा.दं.सं.
थाना-कर्वी, जिला चित्रकूट

18.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा पर्याप्त एवं सुसंगत साक्ष्य के अभाव में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। वादी पर सम्मन/नोटिस का तामीला जरिए वादी मुकदमा को कराया गया है, परन्तु उसके पश्चात भी वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत अन्तिम आख्या के विरूद्ध कोई आपत्ति/प्रोटेस्ट दाखिल नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में तमामी विवेचना बयान बादी, बयान गवाहन, निरीक्षण घटना स्थल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर नामित वाहन से एक्सीडेंट का होना नहीं पाया गया जिसके आधार पर विवेचना समाप्त कर विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***भगवन्त सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, 1985 एस.सी.सी.पेज-537 एस.सी.*** तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा ***रिट याचिका सं०-2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य*** में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा मु०अ०सं०-718/2016, अन्तर्गत धारा 279,338 भा.दं.सं. में प्रेषित अन्तिम आख्या तदनुसार स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट
J.O.Code-UP01773

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2022.07.18 15:28:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court